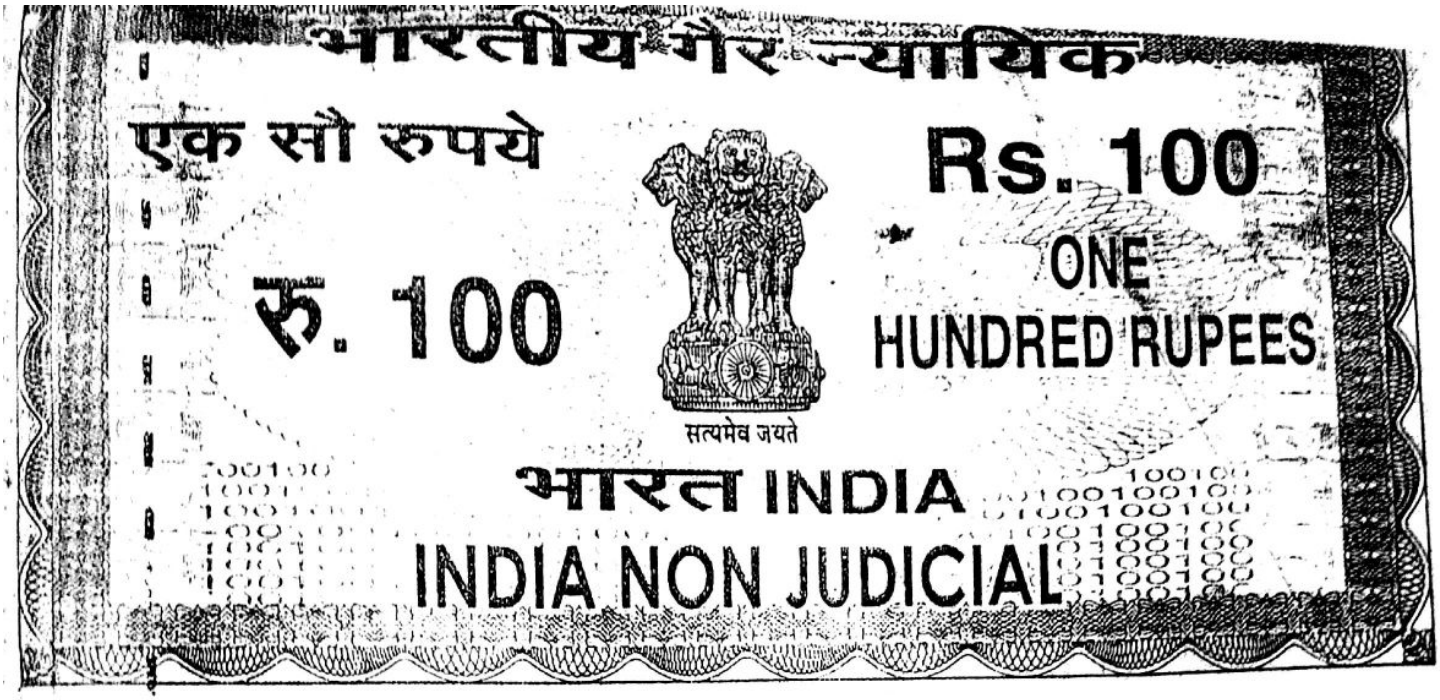

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH R 699133

मुख्त्यारनामा आम

निष्पादिका :- श्रीमती हेमलता चतुरमोहता पति स्व. श्री इन्दरचंद चतुरमोहता, आयु 75 वर्ष, निवासी ग्राम कोसमी, तह व जिला बालाघाट (म.प्र.)

यह कि, मैं उपरोक्त वर्णित स्थान की निवासी हूँ एवं अर्पण फेरों अलाय कोसमी (बालाघाट) की प्रोप्राईटर हूँ । इस फर्म द्वारा रानीमोहगांव तह. कटंगी जिला बालाघाट में मैंगनीज उत्खनन की लीज स्वीकृत है । मैं वर्तमान में 75 वर्षीय वृद्ध महिला हूँ । अतः इस फर्म का संचालन, देखरेख,फर्म में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकों की नियुक्ति, छटनी, वेतन एवं पारिश्रमिक का भुगतान, फर्म से संबंधित आवश्यकतानुसार समस्त कार्यवाही एवं लिखा पढ़ी संबंधित समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालय, निजी निकाय, फर्म से संबंधित खातें बैंक में प्रारंभ करने, खातों का संचालन करने, बैंक से ऋण प्राप्त करने, ऋण का भुगतान करने, सम्पत्ति बैंक में बंधक रखने, फर्म में भागीदार नियुक्त करने, अथवा भागीदारी समाप्त करने, एवं माल का क्रय विक्रय करने, भुगतान प्राप्त करने, हेतु मैं अपने आपको असमर्थ पाती हूँ । इस हेतु मैं निम्न वर्णित व्यक्ति जो कि मेरे सुपुत्र एवं फर्म के जनरल मैनेजर है उन्हें विधिवत अपना मुख्त्यार आम नियुक्त करती हूँ :-

अनिल कुमार चतुरमोहता पिता स्व. श्री इन्दरचंद चतुरमोहता
आयु 55 वर्ष, निवासी ग्राम कोसमी तह. व जिला बालाघाट (म.प्र.)

यह कि,मेरे मुख्त्यार आम मेरी ओर से प्राधिकृत हो उक्त फर्म का संचालन करेंगे, देखरेख करेंगे, फर्म में कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकों की नियुक्ति, छटनी, उनके वेतन एवं पारिश्रमिक का भुगतान करेंगे, फर्म से संबंधित आवश्यकतानुसार समस्त कार्यवाही एवं लिखा पढ़ी संबंधित समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालय, निजी निकाय आदि में अपने

हेमलता चतुरमोहता

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर द्वारा सम्पादित करेंगें, फर्म से संबंधित खाते बैंक में प्रारंभ करेंगे,खातों का संचालन करेंगे बैंक से ऋण प्राप्त करेंगे, ऋण का भुगतान करेंगे, सम्पत्ति बैंक में बंधक रखेंगे, फर्म में भागीदार नियुक्त करेंगे, अथवा भागीदारी समाप्त करेंगे, एवं माल का क्रय –विक्रय करेंगे, भुगतान प्राप्त करेंगे । इन्हें खदान के समस्त मिनरल्स् बेचने एवं उन्हें यह लीज भी आवश्यकता पड़ने पर ट्रांसफर करने का अधिकार मैं देती हूँ ।

यह कि, यदि फर्म के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो मेरे मुख्त्यार आम समस्त कार्यालयीन अथवा न्यायालयीन कार्यवाही एवं लिखा पढ़ी सम्पादित कर विवाद का निराकरण करावेंगे ।

यह कि, मेरे मुख्त्यार आम द्वारा इस फर्म के संबंध में सम्पादित समस्त कार्यवाही एवं लिखा पढ़ी मुझे मान्य होगी एवं मुझ पर बंधन कारक होगी । इसके पूर्व मेरे द्वारा दिनांक 15.03.1993 को अनिल कुमार चतुरमोहता के पक्ष में मुख्त्यार आम निष्पादित कर पंजीकृत करवाया गया था, मूल मुख्त्यारनामा आम किसी कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया है । इस कारण यह नया मुख्त्यारनामा आम निष्पादित किया जा रहा है ।

अतः यह मुख्त्यारनामा आम मैं अपने स्वेच्छा से, अपने पूरे होश हवास में अच्छी तरह पढ़कर, समझकर स्वीकार कर साक्षियों के समक्ष अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया कि प्रमाणित रहें एवं समय पर काम आवे । यह मुख्त्यारनामा आम मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया ।

बालाघाट
दिनांक : 10.08.2010

मुख्त्यार आम

निष्पादिका

साक्षीगण :–
(1) .....
(2) .....